crea

आपका शरीर, आपका निर्णय

गर्भसमापन में सहमति का महत्व

1. गर्भसमापन कुछ शर्तों के तहत कानूनी है।

भारत के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (एमटीपी एक्ट), 1971 ने गर्भसमापन के अपराधीकरण के लिए अपवाद पेश किए हैं। इनमें गर्भवती महिला के जीवन या शारीरिक/मानसिक स्वास्थ्य को जोखिम, बच्चे के जन्म पर गंभीर शारीरिक/मानसिक असामान्यता का जोखिम, और बलात्कार या गर्भनिरोधक की विफलता के परिणामस्वरूप गर्भावस्था शामिल हैं। यह कानून पंजीकृत चिकित्सकों को गर्भसमापन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। पंजीकृत चिकित्सक वे चिकित्सक हैं जिनका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में है और जिन्होंने इस अधिनियम के नियमों के अनुसार प्रसूति और स्त्री रोग में आवश्यक अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

20 सप्ताह तक के गर्भ के समापन के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक की राय की आवश्यकता होती है । 20 से 24 सप्ताह के बीच केवल कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों जैसे कि यौन हिंसा, बलात्कार या अंतर्संबंध के शिकार, नाबालिग, जिनकी वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति, और जिन भ्रूणों में जीवन के अनुकूल न होने का जोखिम है या जो शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से प्रभावित हो सकते हैं, उनको दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय की आवश्यकता होती है। 24 सप्ताह से अधिक, भ्रूण में गंभीर असामान्यताओं के मामलों का निदान मेडिकल बोर्ड (हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक मेडिकल बोर्ड का होना अनिवार्य है) द्वारा 3 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए। महिला के जीवन को बचाने के लिए गर्भसमापन सेवाओं के लिए कोई गर्भकालीन सीमा नहीं है। यह सेवाएँ सरकार द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रदान की जानी चाहिए।

2. गर्भसमापन के लिए वयस्क महिला की सहमति आवश्यक है।

कानून के अनुसार, वयस्क महिला की सहमति के बिना गर्भसमापन नहीं कराया जा सकता। नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए अभिभावक की लिखित सहमति आवश्यक है।

3. विकलांग महिलाओं को गर्भसमापन कराने से पहले अपनी स्वायत्तता के अनुसार सहमति प्रदान करनी चाहिए।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2, 2016 के अनुसार, भारत में विकलांग महिलाओं के गर्भसमापन के लिए उनकी स्पष्ट सहमति आवश्यक है। बिना सहमति के गर्भसमापन कराने पर जुर्माना लगाया जाता है। केवल "गंभीर विकलांगता" के मामलों में अभिभावक की सहमति आवश्यक होती है।

4. गर्भसमापन सेवाओं के लिए महिलाओं की वैवाहिक स्थिति अप्रासंगिक है।

कानून के अनुसार, गर्भसमापन सेवाओं के लिए विवाह कोई शर्त नहीं है। बलात्कार के मामलों में, कानून में वैवाहिक बलात्कार को भी शामिल किया गया है । इस कारण से, महिलाएं बिना विवाह की शर्त के गर्भसमापन सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं।यह महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के अधिकारों और स्वायत्तता का सम्मान किया जाए।

5. गर्भसमापन सेवाएं किशोरियों को प्रदान की जाती हैं।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो (POCSO)) की धारा 19 के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों के यौन संबंधों (सहमति से की गई गतिविधियों सहित) की रिपोर्ट करना अनिवार्य है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चिकित्सकों को गर्भसमापन सेवाएं चाहने वाली किशोरियों के व्यक्तिगत विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। एमटीपी कानून यह आदेश देता है कि किशोरियों के अधिकारों और गोपनीयता का सम्मान किया जाना चाहिए। गर्भसमापन सेवाएं प्रदान करने के लिए एफआईआर की आवश्यकता नहीं है।

6. गर्भसमापन कराने का निर्णय एक महिला का अपना निर्णय है।

गर्भवती व्यक्तियों को अपनी परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है। नाबालिगों और मानसिक रूप से बीमार महिलाओं के मामले को छोड़कर, गर्भसमापन कराने का निर्णय पूरी तरह से गर्भवती महिला के पास होता है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार का अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) विकलांग महिलाओं में गर्भसमापन उनकी स्पष्ट सहमति के बिना किए जाने पर दंड का प्रावधान करता है।

7. सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में गर्भसमापन सेवाओं के लिए विशेष आदेश हैं।

सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को गर्भसमापन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी और सीएचसी) स्तर पर, आवश्यक सेवाओं में परामर्श, 9 सप्ताह तक गोलियों के माध्यम से गर्भसमापन, और 12 सप्ताह तक मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन के माध्यम से गर्भसमापन शामिल हैं। 12 सप्ताह से अधिक के गर्भ के लिए, रेफरल और जटिलताओं के उपचार की सुविधा प्रदान करते हैं। माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर, 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था का समापन इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पिरेशन और फैलाव और निकासी (डायलाटेशन एंड एवाक्यूएशन) के माध्यम से किया जा सकता है, जबकि 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था के लिए सर्जिकल विधियाँ उपलब्ध हैं और विशिष्ट परिस्थितियों में गर्भधारण की समाप्ति की अनुमति है।

सरकार की अनिवार्य आउटरीच सेवाओं में जागरूकता सृजन, गर्भावस्था के निदान के लिए मूत्र परीक्षण, परामर्श, और गर्भ निरोधकों का वितरण शामिल हैं। सरकार इन अनिवार्य सेवाओं के लिए उत्तरदायी है, और गर्भसमापन की गोलियाँ सभी सरकारी केंद्रों पर उपलब्ध होनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के जनादेश को पूरा करने के लिए विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्र स्तरों पर जवाबदेही तंत्र भी मौजूद हैं।

8. गर्भसमापन के बाद गर्भनिरोधक साधन फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के पास उपलब्ध हैं।

फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को गर्भनिरोधक परामर्श और आपातकालीन गर्भनिरोधक प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। अन्य गर्भनिरोधक विधियों के लिए, उन्हें उन व्यक्तियों को, जो अनपेक्षित गर्भधारण से बचना चाहते हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में भेजना आवश्यक है।

9. गर्भसमापन लिंगानुपात में गिरावट का प्राथमिक कारण नहीं है।

ज्यादातर गर्भसमापन पहली तिमाही में होते हैं, जब भ्रूण के लिंग का विश्वसनीय निर्धारण संभव नहीं होता। जेंडर असमानता और लड़कियों के प्रति भेदभाव में योगदान देने वाले सामाजिक कारक, जैसे कि बेटों को प्राथमिकता देना, लिंगानुपात में गिरावट के प्रमुख कारण हैं। इसलिए, दूसरी तिमाही में गर्भसमापन की पहुंच को प्रतिबंधित करना लड़कियों के खिलाफ जेंडर असमानता और भेदभाव के मूल कारणों को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर सकता है।

10. भ्रूण में लिंग का पता लगाना एक अपराध है।

गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के अनुसार, भ्रूण के लिंग का पता लगाना और उसका खुलासा करना दंडनीय अपराध है। यह प्रक्रिया, जो लिंग निर्धारण के रूप में जानी जाती है, (भ्रूण में लिंग का पता लगाना) जेंडर असमानता को बढ़ावा देती है, जिससे सभी लिंगों को नुकसान होता है। इसलिए, इस के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है।

11. सुरक्षित गर्भसमापन अधिकारों पर काम जारी है और यह विशिष्ट परियोजनाओं तक सीमित नहीं है।

सुरक्षित गर्भसमापन प्रजनन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो महिलाओं और गर्भधारण करने वाली व्यक्तियों के लिए समग्र स्वास्थ्य सेवा का अभिन्न अंग है। स्थानीय, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर व्यापक सामुदायिक स्वास्थ्य पहलों और समर्थन में सुरक्षित गर्भसमापन और व्यापक प्रजनन अधिकारों को शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

crea

www.creaworld.org
fb.com/creaworl.org
crea@creaworld.org
@ThinkCREA
CREA
@think.crea